75

//न्यायालय अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर //

अपील प्रकरण क्रमांक - 987-88

1/रामभाऊ पिता लक्ष्मण

निवासी इच्छापुर तह० बुरहानपुर जि० खंडवा ....अपीलान्ट

विरुद्ध

1/ श्यामराव पिता लक्ष्मण नि० इच्छापुर

2/ बनाबाई पति बाबराव मृत द्वारा

(1) बहनाबाई पति सीताराम चौधरी
निवासी इच्छापुर

(2) आत्माराम पिता बाबुराव नि०आनंदनगर खंडवा

(3) जानकीराम पिता बाबुराव नि० कृषि विभाग,
सिकारपुरा बुरहानपुर

4/ सीताराम पिता रामचन्द्र महाले नि०बंभाडा

5/ राजाराम पिता रामचन्द्र महाले नि०सदर

6/सीताबाई पति गणपत मृत द्वारा

(1) श्रीमती अनुसूयाबाई पति तुकाराम
निवासी बंभाडा तह० बुरहानपुर

(2) श्रीमती बेबाबाई पति नारायण
निवासी ग्राम रावेर जि० जलगांव

(3) कुमारी मंगलाबाई पति गणपत माली
निवासी शाहपुर तह० बुरहानपुर

(4) भगवान पिता गणपत माली
निवासी शाहपुर तह० बुरहानपुर ....रिस्पान्डेन्ट

C.C. Rs. 1/-
Deficit- C.C. Rs. 0.50

आदेश

(दिनांक 15.12.1992 को पारित)

यह अपील अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर के प्रकरण क्रमांक 4अ-6/85-86 में पारित आदेश दिनांक 5.10.87 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक आर.एन./7–4/आर/13/93 जिला खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–12–2017	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 5 लगायत 11 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 27–2–85 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–10–87 को आदेश पारित कर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–12–92 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी के दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उनके द्वारा अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने हेतु दिनांक 27–2–85 की तिथि नियत की गई थी, परन्तु उस दिनांक को शाम 5–00 बजे तक आदेश पारित नहीं हुआ था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । 3/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 5 लगायत 11 के विद्वान	

RN 7-4/R/13/93 २५०३ जा

अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में आवेदक उपस्थित रहा है तथा उसके द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आदेश पारित होने के दिनांक को आदेश नोट किया गया है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अपील अवधि बाह्य मान्य कर निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है ।

4/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि मूल आदेश आवेदक पक्ष ने नोट किया था । ऐसी स्थिति में अनुविभगीय अधिकारी समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से अवधि बाह्य थी । इस तथ्य के विपरीत कोई तथ्यात्मक जानकारी आवेदक ने प्रस्तुत नहीं की है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा–5–व्याप्ति–अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है–पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है–पर्याप्त कारण का सबूत–अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है–न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।"

इसी प्रकार 2000 आर.एन. 153 हरसिंह विरूद्ध दुल्ला में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"धारा 5–विलंब की माफी – ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पक्षकार को अनुचित सहूलियत नहीं दी जाये तथा अन्य का अहित न हो ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में निकाले गये निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में इस निगरानी में फेरफार करने के पर्याप्त आधार नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष